भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या- †2864**

उत्तर देने की तारीख- 12/12/2024

**ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का प्रभाव**

†2864. श्री राजा राम सिंह:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के तहत प्रस्तावित अवसंरचना उन्नयन से शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, जो स्पष्ट रूप से वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 का उल्लंघन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संदर्भ में एफआरए संबंधी कानूनों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) संरक्षित जनजातीय क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत शोम्पेन जनजाति के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

**(क) और (ख):** अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में एफआरए) वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों को वन भूमि पर वन अधिकारों और उनके कब्जे को मान्यता देने और निहित करने का प्रयास करता है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है। अधिनियम का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पर निर्भर है। अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना (जीएनआईपी) के तहत बुनियादी ढांचे के उन्नयन का प्रस्ताव करते समय अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (संक्षेप में, एफआरए) का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और सभी उचित प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया है। इसके अलावा सरकार ने अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के पहचाने गए द्वीपों के समग्र विकास की देखरेख के लिए माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 01.06.2017 से एक द्वीप विकास प्राधिकरण का गठन भी किया है। इसके अलावा, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन और निकोबारी जनजातियों पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 आदिवासी जनजातियों के हितों की सुरक्षा और भौगोलिक क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान करता है, जो मुख्यत: और विशेष रूप से इन जनजातियों द्वारा बसा हुआ है। जैसा कि विनियमन में प्रावधान किया गया है, भूमि का स्वामित्व जनजातीय समुदायों में निहित है, जिसमें उन्हें अपने जीवन-यापन के लिए अपनी दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने का अप्रतिबंधित अधिकार है और जनजातीय आरक्षित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण, अधिग्रहण आदि सख्त वर्जित है। विनियमन को 2012 में संशोधित किया गया था ताकि (जनजातीय रिजर्व में फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी, मादक पदार्थों की शुरूआत और अवैध शिकार आदि के लिए दंडात्मक कार्रवाई) इसे कठोर बनाया जा सके।

(ii) जनजाति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए, अंडमान और निकोबार प्रशासन ने 22.5.2015 को ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति सम्बंधी नीति अधिसूचित की है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के संबंध में, शोम्पेन नीति संबंधित प्राधिकारियों के साथ उचित परामर्श के अधीन ग्रेट निकोबार द्वीप में विकास प्रस्तावों की अनुमति देती है, जो किया गया है। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि परियोजना किसी भी शोम्पेन पीवीटीजी को परेशान या विस्थापित नहीं करेगी।

(iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 एवं संशोधन अधिनियम 2015 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 का प्रवर्तन। संघ राज्यक्षेत्र एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं।

(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय उप-राज्यपाल ने कार्यालय प्रमुख/अधीक्षक मानव विज्ञानी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, पोर्ट ब्लेयर और मानव विज्ञानियों सहित एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया। दिनांक 30.09.2020 को आयोजित एक बैठक के दौरान, अधिकार प्राप्त समिति ने इस मामले पर विस्तार से चर्चा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जीएनआई परियोजना के समग्र विकास के मद्देनजर ग्रेट निकोबार द्वीप की जनजातियों के हित सुरक्षित हैं।

**(ग):** शोम्पेन जनजाति के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं: -

(i) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने 22.05.2015 को ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की शोम्पेन जनजाति संबंधी नीति अधिसूचित की, जो अन्य बातों के अलावा शोम्पेन के बीच सामाजिक, पारिस्थितिक और आर्थिक विविधता को मान्यता देती है तथा भाषा सहित उनकी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सुरक्षा करती है।

(ii) जैसा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, परियोजना के लिए दी गई ईसी और सीआरजेड से निकासी की मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) जनजातीय कल्याण सुनिश्चित करना तथा शोम्पेन जनजाति और उनकी बस्तियों को परेशान न करना।

ख) परियोजना क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में भूमि उपयोग के विशिष्ट उद्देश्य के लिए भूमि का स्पष्ट सीमांकन किया जाना है ताकि जनजातीय बस्तियों में हस्तक्षेप न हो।

ग) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आबादी में वृद्धि से मानव-जनित बीमारियों की निगरानी और शमन के लिए एक विशेष चिकित्सा इकाई की स्थापना करना।

इसके अनुसरण में, ग्रेट निकोबार द्वीप की जनजातियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों जैसे कि नाव एम्बुलेंस की खरीद और जनजातियों की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी आधारित भू-निगरानी टावरों की स्थापना आदि को चलाने के लिए 75 करोड़ रुपये की राशि का विशेष प्रावधान किया गया है।

(iii) स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अंडमान एवं निकोबार प्रशासन ने ग्रेट निकोबार द्वीप की जनजातीय आबादी के विशेष संदर्भ में रोग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए विशेष चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल इकाई स्थापित करने की योजना तैयार की है। इस योजना में ग्रेट निकोबार द्वीप में उन्नत बुनियादी ढांचे, दवाओं और योग्य कर्मचारियों के साथ चिकित्सा सुविधाओं के बड़े पैमाने पर उन्नयन के साथ-साथ विशेष रोग नियंत्रण/निगरानी इकाई की स्थापना की परिकल्पना की गई है। चिकित्सा योजना में 126 करोड़ रुपये के परिव्यय की परिकल्पना की गई है।

(iv) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएंडएन) ने सूचित किया है कि अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (एएजेवीएस) विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के कल्याण, भलाई और सुरक्षा के लिए काम कर रही है और ओंगेस, अंडमानी और शोम्पेन को मुफ्त राशन और कपड़े उपलब्ध कराती है और साथ ही पीने योग्य पानी की आपूर्ति, मुफ्त राशन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, सुरक्षा, पुलिस वायरलेस के माध्यम से संचार के लिए सुविधाएं भी प्रदान की हैं और इन जनजातीय समूहों के लिए जनजातीय बस्तियों में सामुदायिक हॉल, घर, फुटपाथ, नावों के लिए घाट, हेलीपैड आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की हैं। यह भी सूचित किया गया है कि एएजेवीएस अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनजातीय लोगों के पारंपरिक कौशल और शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है।

*****